

**कार्यालय स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय संचालन समिति,
बोडला जिला -कठ्ठीरथाम (छ.श.)**

क्रमांक /२१३४/सजेस/संविदा भर्ती/विज्ञापन/2023

कवीरधाम दिनांक ०८.०५.२०२३

विज्ञापन

छत्तीसगढ़ शासन रक्षुल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर नवा रायपुर के आदेश क्रमांक एफ-२३-०८/२०२०/२०-दो/३३ अटलनगर नवा रायपुर दिनांक 24.06.2022 के द्वारा दिये गये निर्देशानुसार स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बोडला में संचालन प्रबंधन समिति द्वारा अस्थाई रूप से प्रतिनियुक्ति/संविदा के पद पर आवेदन आमंत्रित करने हेतु दिनांक 08.05.2023 से 23.05.2023 अपराह्न 5.00 बजे तक निर्धारित किया जाता है। निर्धारित तिथि/समय के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

विज्ञापित पद का विवरण :-

क्र.	पद का नाम एवं विषय	पदों की संख्या	संविदा नियुक्ति की रिस्ते में मानदेय	प्रतिनियुक्ति की रिस्ते में देय वेतन	न्यूनतम योग्यता
1	व्याख्याता सामाजिक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	अनारक्षित 1	38100/-	प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन	मान्यता प्राप्त वोर्ड/ विश्व विद्यालय के अंग्रेजी माध्यम विद्यालय /महाविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि के साथ बी.एड. प्रशिक्षित होना अनिवार्य है।
2	शिक्षक समाविज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	अनारक्षित 1	35400/-	प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन	मान्यता प्राप्त वोर्ड/ विश्व विद्यालय के अंग्रेजी माध्यम विद्यालय /महाविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातक की उपाधि के साथ बी.एड. प्रशिक्षित होना अनिवार्य है।
3	सहा. शिक्षक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	अनारक्षित 1, अजजा 1	25300/-	प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन	अंग्रेजी माध्यम से हायर सेकेण्डरी विज्ञान/ गणित उत्तीर्ण एवं डी.एड. /डी.एल.एड प्रशिक्षित होना अनिवार्य हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी.) उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
4	सहा. शिक्षक कला (अंग्रेजी माध्यम)	अजजा 1	25300/-	प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन	अंग्रेजी माध्यम से हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण एवं डी.एड./ डी.एल.एड प्रशिक्षित होना अनिवार्य हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी.), उत्तीर्ण होना आवश्यक हैं।
5	सहा. शिक्षक विज्ञान प्रयोग शाला (अंग्रेजी माध्यम)	अजजा 1	25300/-	प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन	अंग्रेजी माध्यम से हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण एवं डी.एड./ डी.एल.एड प्रशिक्षित होना अनिवार्य हैं।
6	अंशकालीन सफाईकर्मी	अनारक्षित 1	कलेक्टर दर		8वीं उत्तीर्ण
कुल		07			

नियम एवं शर्तें :-

- संविदा नियुक्ति पदों पर की गई नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है शासन/समिति के द्वारा नियुक्ति अथवा कार्य व्यवहार के आधार पर किसी भी समय सेवा से पदच्यूत की जा सकती हैं।
- छ.ग. राज्य के मूल निवासी आवेदक ही चयन के लिए पात्र होंगे।
- आवेदक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र एवं अन्य दस्तावेज स्व प्रमाणित संलग्न कर स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से निर्धारित तिथि तक कार्यालय प्राचार्य

- स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बोडला के आवक/जावक कक्ष में जमा आवेदन स्वीकार किये जाएंगे सीधे आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- 4 अपूर्ण एवं त्रटि पूर्ण आवेदन मान्य नहीं किये जावेंगे। अमान्य आवेदनों के संबंध में पृथक से सूचना नहीं दी जावेगी।
- 5 आवेदक की उम्र 01 जनवरी 2023 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 50 वर्ष होना चाहिए आयु की गणना दिनांक 01 जनवरी 2022 की रिथ्टि में की जावेगी। उम्र की पुष्टि हेतु 10वीं की अंकसूची प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आयु सीमा में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा रामय-रीगा पर जारी छूट संबंधी आदेश/निर्देश संविदा नियुक्ति के लिये भी लागू होंगे।
- 6 अंग्रेजी माध्यम के आवेदकों के द्वारा सम्पूर्ण अध्ययन विस्तीर्णी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय के अंग्रेजी माध्यम से पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा।
- 7 प्रथम वरियता प्रतिनियुक्ति के आवेदकों को दी जावेगी। पर्याप्त संख्या में प्रतिनियुक्ति के आवेदकों के आवेदन प्राप्त न होने की दशा में संविदा भर्ती किया जावेगा।
- 8 भविष्य में शासन के द्वारा उक्त पदों पर भर्ती किए जाने पर यह नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
- 9 आपके द्वारा कार्य व्यवहार एवं परीक्षा परिणाम प्रदर्शन के आधार पर भी आपको रखा/पदच्युत किया जा सकेगा।
- 10 प्रतिनियुक्ति की दशा में आवेदक को अपने कार्यालय प्रमुख का अनापत्ति प्रामाण पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा।
- 11 अन्य शिक्षकों की भाँति इन शिक्षकों को भी अन्य आवंटित शालेय कार्य तथा मूल्यांकन /शालेय गतिविधियां आदि से भागीदारी सुनिश्चित करना होगा जिसके लिए अतिरिक्त मानदेय की पात्रता नहीं होगी।
- 12 साक्षात्कार/कौशल परीक्षा एवं लिखित परीक्षा के समय निम्न अभिलेखों की मूल प्रति के साथ अभ्यार्थी को उपस्थित होना अनिवार्य है।
- 10 वीं बोर्ड परीक्षा की अंक सूची।
 - 12 वीं बोर्ड परीक्षा की अंक सूची।
 - स्नातक एवं स्नातकोत्तर परीक्षा के समस्त सेमेस्टर/वर्षों की अंकसूची।
 - संबंधित रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रामाण पत्र।
 - छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवास प्रामाण पत्र।
 - अनुभव प्रामाण पत्र सत्यापित प्रति में।
- 13 किसी भी समय या किसी भी प्रकार से दस्तावेजों के असत्य पाये जाने पर अभ्यर्थी की नियुक्ति अमान्य की जा सकेगी।
- 14 व्याख्याता, शिक्षक, एवं सहायक शिक्षक के लिए अंतिम चयन सूची निम्नांकित आधार पर बनाई जावेगी।
- 1 शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांकों का प्रतिशत का – 40 प्रतिशत अंक
 - 2 अनुभव – केन्द्र व राज्य सरकार के मान्यता प्राप्त शासकीय/अशासकीय अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में अध्यापन किये जाने का अनुभव प्रामाण पत्र प्रस्तुत करने पर 03 वर्ष के अनुभव के लिए 05 अंक, 03 वर्ष से अधिक एवं 06 वर्ष तक के लिए 10 अंक तथा 06 वर्ष से अधिक के लिए 15 अंक दिये जावेंगे।
 - 3 उपरोक्त अकादमिक पदों हेतु मेरिट अनुसार 1 अनुपात 15 की संख्या में आमंत्रित कर लिखित परीक्षा – 30 अंक का लिया जायेगा।
 - 4 अंकसूची, अनुभव एवं लिखित परीक्षा में कुल प्राप्तांकों का मेरिट अनुसार 1 अनुपात 05 की संख्या में आमंत्रित कर साक्षात्कार –15 अंक का लिया जायेगा।
- 15 अंशकालीन सफाईकर्मी हेतु निम्नांकित आधार पर बनायी जावेगी
- (अ) 8वीं कक्षा में प्राप्त अंकों पर 100 अंक का वेटेज देते हुये 40 अंक
 - (ब) 10वीं कक्षा में प्राप्त अंकों पर 100 अंक का वेटेज देते हुये 20 अंक
 - (स) 12वीं कक्षा में प्राप्त अंकों पर 100 अंक का वेटेज देते हुये 20 अंक
 - (द) अनुभव–शासकीय संस्थाओं एवं शासकीय अथवा अशासकीय शालाओं में कार्य का अनुभव में प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 05 अंक अधिकतम 20 अंक
- 16 विज्ञान सहायक शिक्षक प्रयोगशाला सहायक के लिए – हायर सेकेण्डरी में प्राप्तांक का 85 प्रतिशत। अनुभव प्रामाण पत्र प्रस्तुत करने पर 03 वर्ष के अनुभव के लिए 05 अंक, 03 वर्ष से अधिक एवं 06 वर्ष तक के लिए 10 अंक तथा 06 वर्ष से अधिक के लिए 15 अंक दिये जावेंगे।

- 17 दावा—आपत्ति हेतु अभ्यार्थियों को एक निश्चित समय दिया जायेगा आवेदन/सूची में त्रुटियों की रिस्ति में जिला स्तर पर समितियां इन दावा—आपत्ति का निराकरण कर निर्णय लेगी तथा दावा—आपत्ति एवं पात्र अभ्यार्थियों की सूची जारी करेगी। चयन समिति अभ्यार्थियों के संख्या के आधार पर दस्तावेजों के सत्यापन की तिथि का निर्धारण करेगी तथा दावा—आपत्ति के तिथि के पश्चात किसी भी दावा—आपत्ति को स्वीकार/मान्य नहीं किया जायेगा।

18 उपरोक्त संविदा अवधि 3 वर्ष के लिए होगी। छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 कंडिका क. 11 के (1) नियम 4 (1) अनुसार ।

19 19संविदा कर्मचारियों के लिए दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष के द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

20 संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ सिविल सेवा संविदा नियुक्ति नियम 2012 के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी ।

21 एक से अधिक पद हेतु आवेदन करने की रिस्ति में प्रत्येक पद हेतु पृथक् —पृथक् आवेदन करना होगा ।

22 राज्य शासन द्वारा उत्कृष्ट स्वामी आत्मानंद शास.अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हेतु समय—समय पर जारी निर्देशों के अधीन पंजीकृत सोसायटी विद्यालय के संचालन व शर्तों से संबंधित नियम/निर्देश जारी करेगी जो सर्व मान्य व सभी के लिए बाध्यकारी होगा ।

23 नियुक्ति हेतु चयन समिति का निर्णय ही सर्वमान्य होगा ।

24 विज्ञापित पदों हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या के आधार पर उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा चयन हेतु निम्नलिखित चरण प्रक्रिया अपनायी जावेगी। (अ) लिखित परीक्षा (ब) साक्षात्कार। लिखित परीक्षा के संबंध में विस्तृत जानकारी पृथक् से जिले की वेबसाईट में दी जाएगी ।

25 शिक्षक/सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम/हिन्दी माध्यम हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा टी.ई.टी. उत्तीर्ण होना आवश्यक है ।

26 किसी भी अस्थर्थी की नियुक्ति संविदा पर होने पर वह नियमितिकरण के लिए किसी भी प्रकार का दावा नहीं करेगा ।

27 अनुसूचित जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यार्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है प्रमाण पत्र के अभाव में आरक्षण का लाभ दिया जाना संभव नहीं होगा। आवश्यक होने पर प्रबंधन समिति प्रमाण पत्र की वैधता की जाँच करा सकता है ।

28 अनुसूचित जाति/अनु.जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यार्थियों, महिला उमीदवारों के लिए आयु सीमा में शिथिलता हेतु छ.ग. शासन के नियमों के अनुसार छूट की पात्रता होगी ।

29 आरक्षण रोस्टर का पालन किया जावेगा ।

30 पद संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकेगी ।

31 संविदा भर्ती में किसी भी प्रकार के आपत्ति/विवाद का निराकरण स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय. बोडला संचालन प्रबंधन समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा ।

32 आवेदक आवेदन पत्र का प्रारूप जिले के वेबसाईट kawardha.gov.in पर से डाउनलोड कर सकते हैं।

विशेष :- अद्यतन जानकारी के लिए जिले की वेबसाईट kawardha.gov.in का नियमित अवलोकन करते रहें ।

33. उक्त भर्ती प्रानकीय उच्चतम् न्यायालय, नई दिल्ली के स्स. रह. पी. (सी) द्वारा

19669/2022 के अंतिम आदेश के अध्यधीन होगी।

सचिव

विद्यालय संचालन समिति
स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय
बोडला, जिला कवीरधाम